REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2022

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था

सीतू शुक्ला
प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग
एस.एस. पी.जी. कालेज, शाहजहॉपुर,(उ.प्र.)

भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे और समाज में उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्रायाः किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां की महिलाओं का योगदान आवश्यक है। राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहां की भावी सन्तानो को जन्म देने वाली जननी उसमें योगदान देगी।

महिला सशक्तिकरण एवं राजनीतिक विकास एवं सहभागिता के सन्दर्भ को समझना बहुत ही जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था ने राजनीति में महिला प्रतिभागिता को प्रभावित किया है। पारिवारकि संरचना, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था तथा मूल्यों को परिवर्तित किया है। पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तिकरण को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। सितम्बर 2008 में गठित होने वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत किया गया है। यह एक कान्तिकारी कदम है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की जो प्रकिया प्रारम्भ की गई है कितनी सार्थक एवं उपयोगी है। इसका परीक्षण करना मुख्य उददेश्य रहा है।*[1]

संसद द्वारा वर्ष 1992 में पारित संविधान संशोधन का 75वॉ और 74वॉ बिल भारतीय महिलाओं के लिए एक कान्तिकारी घटना थी। इसके माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रो में ही स्थानीय निकायों के सभी चुने हुए कार्यालयों में कुल स्थानो का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है । इस बिल के जरिये महिलाओं के लिए सभी स्तरों की पंचायतो में कुल सीटो का एक तिहाई भाग आरक्षित हुआ है। साथ ही यही व्यवस्था प्रधान प्रमुख तथा अध्यक्ष पद के लिए भी हुई। उन्हें ग्राम पंचायतो से जिला परिषद तक एक तिहाई आरक्षण मिला।

ग्रामीण समाज का जो वंचित वर्ग है महिलाऍं उसका एक महत्वपुर्ण हिस्सा है। वे गांव की आधी दुनिया है कहीं कहीं यह आधी दुनिया पुरूषो से अधिक काम करती है। इसी आधी दुनिया को सशक्त बनाने के लिए उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी के लिए आरक्षण के माध्यम से रास्ता बनाया गया है और माना गया कि आरक्षण की प्रणाली के जरिये महिलाओ के प्रतिनिधित्व को बढाकर ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी के आधार को विस्तार दिया गया है। नए पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम ने बुनियादी स्तर पर देश की लोकतान्त्रिक संस्थओ के सुदृढ आधार सौपते हुए महिलाओं को केन्द्रीय मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया निश्चय ही इससे महिलाओं के विकास को भी एक सुदृढ आधार मिला।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान था, उसके आधार पर सभी राज्यों में अपने अपने अधिनियमों में इसके अनुरूप व्यवस्था कर ली और यह सन (1945–95) में देश के लगभग सभी राज्यो में लागू हो गया। सन 1995 में सम्पन्न त्रिस्तरीय पंचायती चुनावो में महिलाओं 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था हुई मुखिया सभापति नगर अध्यक्ष आदि पदो के लिए भी आरक्षण दिया गया।*[2]

इतिहास इस बात का साक्षी है कि पुरूष ने नारी के साथ कभी न्याय नही किया है। पुरूष के अन्याय व उत्पीड़न की कथा से विश्व साहित्य भरा पड़ा है। नारी पतिव्रता है तो पीड़िता है नारी निर्धन है तो प्रताड़ित है नारी कुरूप है तो अंवाछित है, नारी रूपवती है तो योग्य है। नारी अकेली है तो आरक्षित झुठे आश्वासनों सें भ्रमित हैं। वह झुठे प्यार के नाटक से व्यथित है। नारी को हर दिशा व हर क्षेत्र में आशादीप दिखाकर ठगा गया है उसने चुपचाप सब साहा तो पुरूष निरंकुश और आतंकवादी बन गया है। नारी को हर अवस्था में पुरूष की कुरता का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समाज के माध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग की महिलाएँ, वकील, अफसर प्रधानाध्यापक ,चिकित्सक, इंजीनियर पत्रकार व पायलट आदि है। निम्न वर्ग में स्त्रियां अखबार बेचना, पान–बीड़ी बेचना साइकिल के पंचर ठीक करना, जंगल से लकड़िया काटकर लाना, कृषि में सहयोग देना आदि महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाएँ गृह कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में तो महिलाएँ बाहरी क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। शि़क्षा व्यवस्था, प्रशासन आदि संबंधी उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ वे सुरक्षा जैसे क्षे़त्रो में भी कार्यरत है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी, भण्डार नायके, श्रीमती गोल्डा मायर, श्रीमती चद्रिका कुमार तुंगे, IPS किरन बेदी आदि नारियां आधुनिक नारी में आये बदलाव को डंके की नोक पर बता रही है। स्वतन्त्रता नारी के पश्चात समानता के लिए नारी संघर्ष महत्वपूर्ण प्रगति की है। महिलाओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विज्ञान प्रबन्धन और खेलो में अमिट छाप छोड़ी है।*[3]

हर हाल में स्त्री को यह समझना होगा कि मनुष्य होने के नाते पहले वह समाज की अनिवार्य इकाई भी है। उसे अपने–आप में यह अहसास भी जगाना होगा कि वह स्त्री ही नही इस देश की सम्मानित नागरिक भी है। इस लिए यह आवश्यक है कि स्त्रियां अपने आपको आसपास की जागरूक सामाजिक और स्वयंसेवी तथा राजनीतिक संस्थाओ से जोड़े रखे। स्त्रियां परिवार में रहकर भी समाज व राजनीति के प्रति अपने कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वाह कर सकती है। स्त्रियों को खुद ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा स्वंय को इस तरह मजबूत बनाना होगा कि कोई अब उन पर जुल्म करना तो दूर कीचड़ भी न उछाल सके, यातना देने का साहस तो दूर उन्हे डराने धमकाने की भी हिम्मत न कर सकें।

यह सही है कि स्त्री की सबसे बडी दुश्मन उस पर समाज द्वारा थोपी गई नैतिकता व परम्पराएँ है। नैतिकता, रीति रिवाज, परम्पराएं के सारे मानदण्ड स्त्री पर डालकर पुरूष वर्ग अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाते है। एक स्त्री पर पुरूष ही नही घर परिवार के सदस्यो के साथ साथ आस पड़ोस, गली मोहल्ले के लोग भी उस पर अत्याचार करने की हिम्मत करने लगते है। हद तो तब हो जाती है जब समाज की पंचायत जैसी संस्थाए भी स्त्रियो पर हिंसक कार्यवाही करने की सिफारिश करने लगती है। यह सब तभी बन्द हुआ जब स्वयं स्त्रियां पंचायत में आयी और स्वयं ही इन सबका विरोध किया और नये कानून के निर्माण पर जोर दिया।*[4]

आज जब सम्पूर्ण विश्व गैर बराबरी भेदभाव,गरीबी और हिंसात्मक टकरावो का संकट छाया हुआ हैं। महिलाओं की सामूहिक ताकत का अपना अलग महत्व है। महिलाओं ने इसे अपने योगदान विस्तृत और बहुआयामी बनाया है। महिला समुहो ने सामुहिक प्रयत्नो से महिलाओ की स्थिति सुधारने की कोशिश की है। उनको कोशिश है कि समाज राष्ट्र और विश्व के सम्पूर्ण ढाचें में परिवर्तन लाया जा सके। महिलाएं अलग अलग प्रसंगो में अर्थपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के बीज बो रही है।*[5]

महिला उत्पीड़न अधिकांशतः व्यापक सामाजिक (आर्थिक और सांस्कृतिक), संरचना का हिस्सा है जो महिलाओ को ऐसे उत्पीडन का शिकार बना देता है। जिसके लिए सिर्फ राजनीतिक कारको

या राज्य को ही दोषी नही माना जा सकता है। इसके बावजूद एक एजेंसी के रूप में राज्य भी जो कि पुरूषो के वर्चस्व में है, महिलाओ को लोकतान्त्रिक स्थान और मानवाधिकारो की गारंटी देने में विफल रहता है। महिलाओ की समस्याओं के बारे में चिन्ताओं को अक्सर पीछे धकेल दिया जाता है क्योकि प्रतिनिधि संस्थाओ में अल्पमत होने के कारण महिलाएं निर्णय प्रकिया में कोई प्रभावी भूमिका नही निभा पाती है। इसलिए उनके हस्तक्षेप को प्रभावी बनाने के लिए उनका राजनीतिक सबलीकरण बेहद जरूरी है।*[6]

पिछले कुछ समय में महिला संबंधी कई कानून बने पर क्या वे कानून महिलाओं की हालत बदल सकते है ? मेरा यह मानना कि जब तक यह सामाजिक ढांचा नहीं बदलेगा। तब तक महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है। अभी तक तो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में बदलाव की दिशा में किये गये सरकारी प्रयास कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाये है। खुद महिलाओं ने भी इस दिशा में सकारात्मक पहल की है। जब तक इस चुनौती को खुद महिलाएं स्वीकार नही करेगी। तब तक कानून कारगार साबित नही होगा। उन्हे खुद प्रयास करके अपनी राह बनानी है। वर्तमान समय में पंचायतो में पचास (50%) आरक्षण देने की बात कही जा रही है। लेकिन महिला आरक्षण विधेयक भी उची जातियों की तानाशाही स्थापित कर सकता है। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसके बाद 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने महिलाओ के विरूद्ध सभी भेदभावों को खत्म करने वाली समिति स्थापित की। महिलाओ को पुरूष की बराबरी पर लाने क लिए जो व्यवस्थाएं की गयी है क्या उन्हें व्यवहारिक रूप में लागू किया जा रहा है। महिलाओ की स्थिति में सुधार करने के लिए समस्त सरकारी और कानूनी प्रयास तब तक अधिक कारगार साबित नहीं हो सकते है। जब तक महिलाओ के प्रति सामाजिक दायित्वो के बोध में परिवर्तन नही आता। वर्तमान समय में महिलाओ के प्रति जो थोड़े बहुत बदलाव आये है उनकी गति धीमी है। अतः विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ के अनुरूप ही सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और महिलाओं के प्रति नई लायी जाए। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओ का समय समय पर पुर्नमूल्यांकन भी करना होगा।*[7]

पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिलाओ के बढ़ते राजनीतिक सशक्तिकरण से जहॉ एक ओर आशा की नई किरण दिखने लगी है वही उनके मार्ग मे आने वाली कठिनाईयों को देखकर कुछ चिन्ता भी होने लगी। इन कठिनाईयों में से कुछ ऐसी है जिनका किसी भी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन के साथ आना स्वाभाविक है लेकिन इनका समय के साथ समाप्त हो जाना भी निशिचित है। कुछ कठिनाइयां नीति संबंधी है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद लगभग आठ वर्षो में पंचायत के दो चुनाव सम्पन्न हो चुके है। किसी भी राज्य में एक तिहाई आरक्षित बढ़ा नही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय में फरवरी 2000 में राजनीतिशास्त्र में हुए एक सम्मेलन में आन्ध्रप्रदेश की एक महिला प्रतिनिधि ने कहा कि ''महिलाओ के लिए कोटा तय किया जाना पुरूषो के लिए आरक्षण नीति बन गया है।'' इसका तात्पर्य यह है कि अब महिलाओ के लिए आरक्षित एक तिहाई पदो को छोड़कर अतिरिक्त बाकी सीटे पुरूषो ने आरक्षित कर ली हैं। अर्थात महिलाओ को आरक्षित सीटो के अतिरिक्त और कही से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता ताकि महिलाएं स्थानीय पुरूष शक्ति की पिछलग्गू बनी रहीं। इसके लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। कुल जनसंख्या की लगभग आधी संख्या होने के कारण आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत (50%) किए जाने का पूरा पूरा औचित्य बनता है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः महिला पंचायतो का गठन किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ राज्यो ने पहल की है। इसे कानूनन सभी राज्यो के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। महिलाओ का ग्राम सभा के कोरम में आरक्षण होना चाहिए जिससे पुरूष प्रतिनिधियो के वर्चस्व को कम किया जा सके। महिलाओ के लिए ग्राम तथा विकास खण्ड स्तर पृथक प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक तिहाई आरक्षण के बाद पंचायत के तीनो स्तरो में

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो ने अपने अधिकार व कार्यो के आधार पर राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रकिया को आरम्भ कर दिया है। भविष्य में आशा की जा सकती है कि प्रकिया ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।*[8]

वर्तमान पुरूष प्रधान समाज में भी महिला किसी अर्थ में पुरूषो से पीछे नहीं है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही है जहां महिला उत्कृष्ट भूमिका निभा ना रही है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओ के साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव और महिलाओं के प्रति नई सोच लायी जाए तभी महिलाओ के उत्थान की परिकल्पना यथार्थ रूप में साकार हो सकती है। वर्तमान भारतीय सरकार भी अपनी सनातन परम्परा को बनाऐ रखने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। इसी सन्दर्भ में 2009 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। इस सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आयाम महिलाओ में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जाग्रत करना है। इसके साथ ही इनका उददेशय महिलाओ की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को भी सुधारना है। सृष्टि के आरम्भ से ही परमात्मा में अपने को दो रूपो में विभक्त किया वाम भाग से स्त्री तथा दक्षिण भाग से पुरूष इसलिए प्राचीन काल से ही नारियो को समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है।*[9]

नए संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती चुनावो में चुनकर आई नई नई महिला प्रतिनिधियों की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, मगर समय और कुर्सी ने उन्हे बहुत कुछ सिखा दिया है। वे विपरीत परिस्थितियों से टकराते हुए स्वयं को सक्षम नेता के रूप में उभारने की कोशिश कर रही है। नए पंचायती राज में उन्होंने कई नेताओं को पीछे छोड़ा है। बड़े स्तर पर उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी दिखाई दे रहे है। वे अपने दायित्वो को समझ रही है। अपने अधिकारो को जान रही है कौशल, को पहचान रही है। उन्हे व्यवहार में भी ला रही है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। जैसे जैसे महिलाओं में साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा वैसे वैसे वे पंचायती राज अपने अच्छे कार्यो और अधिकारो का इतिहास रचती जाएगी।*[10]

सन्दर्भ सूची–

1. एम .एस अंसारी –'' राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी '' पृ. सं. 29
2. डॉ0 कुमुद शर्मा– ''आधी दुनिया का सच'' नई दिल्ली 2008 पृ. सं. 88–89
3. एम.एस. अंसारी –'' राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी'' पृ. सं. 30
4. रामणिक गुप्ता – '' स्त्री मुक्ति ''
5. Ahmad Imtiaj 1995-" Persnol lows Promating Rejarm jram within Economic and Palitical Weells "11 Nov P.N.52
6. Kishwar Madhu 1994-Coditied Hindle Low Myth and Reality Economic and Political Weekly August P.N. 21:45
7. ''भारतीय महिलाओ का समाजशास्त्र '' पृ. सं. 205,206
8. पिल्ले सुधा – ''पंचायती राज द्वारा अधिकार सम्पन्नता '' योजना अगस्त 2001 पृ. सं. 36
9. श्री हरिदत्त वेदांलकर –'' हिन्दू परिवार मीमांसा पृ. सं. 446,447
10. डॉ. कुमुद शर्मा–'' आधी दुनिया का सच'' नई दिल्ली 2008,पृ. सं. 95–96